Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बूंदी में नगर परिषद पार्षद 1 लाख 50 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *24 मई, मंगलवार*। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर स्पेशल यूनिट–कोटा इकाई द्वारा आज बूंदी में कार्यवाही करते हुये रोहित बैरागी पार्षद वार्ड संख्या–1, बालचंद पाड़ा, नगर परिषद, बूंदी को परिवादी से **1 लाख 50 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की स्पेशल यूनिट–कोटा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि स्ट्रीप ऑफ लैण्ड में मकान का निर्माण कार्य करने देने एवं परेशान नहीं करने की एवज में रोहित बैरागी पार्षद वार्ड संख्या–1, बालचंद पाड़ा, नगर परिषद, बूंदी द्वारा स्वयं के लिये 1 लाख रुपये एवं सभापति नगर परिषद के नाम पर 50 **हजार रूपये,** कुल **1 लाख 50 हजार** रुपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, कोटा के **पुलिस अधीक्षक श्री आलोक श्रीवास्तव** के सुपरवीजन में एसीबी स्पेशल यूनिट–कोटा इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय स्वर्णकार** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री धर्मवीर सिंह व पुलिस निरीक्षक श्री रमेशचंद आर्य** एवं उनकी टीम के साथ बूंदी में ट्रेप कार्यवाही करते हुये रोहित बैरागी पुत्र श्री महावीर बैरागी निवासी बालचंद पाड़ा, बूंदी हाल पार्षद वार्ड संख्या–1, बालचंद पाड़ा, नगर परिषद, बूंदी को परिवादी से **1 लाख 50 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्व अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्व भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।